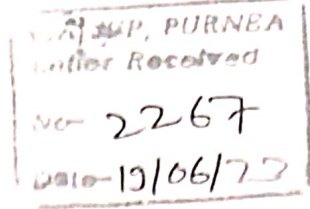


जिला शिक्षा पदाधिकारी  
पूर्णियाँ

पञ्जी कक्षा  
दिनांक.....

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)  
आदेश



सचिका संख्या-08/RTE 15-03/2023 - 505

दिनांक 15/06/23

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1) (C) के प्रभावी रूप से अनुपालन हेतु मार्गदर्शिका-

स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) (C) में प्रावधानित है कि कोई विद्यालय पहली कक्षा में, पड़ोस के कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों को, उस कक्षा में नामांकन हेतु निर्धारित बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा।

परन्तु यह और कि जहाँ उक्त विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा देता है वहाँ उक्त उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।

2. उक्त प्रावधान गैर सहायता या अनुदान प्राप्त भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

3. उक्त अधिनियम के आलोक में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह को शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।

4. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली-2011 के नियम-7 में प्रावधानित है कि पहली कक्षा में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के तहत नामांकित बच्चों के साथ कक्षा के अन्य बच्चों के साथ भेद-भाव या अलग-थलग नहीं करने, उनकी कक्षाएँ किसी अन्य स्थान या अन्य समय, जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हों, आयोजित करने पर रोक लगाया गया है। इस श्रेणी में नामांकित बच्चों के खेल, सहगामी पाठ्यचर्या, सूचना एवं संचार तकनीकी के शिक्षण के संबंध में सामान्य बच्चों से किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करने का निदेश निर्गत है।

5. उक्त नियमावली-2011 के नियम-9 में उम्र-प्रमाण के लिए जहाँ जन्म, मृत्यु एवं विवाह निबंधन अधिनियम-1886 के अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, वैसी परिस्थिति में विद्यालयों में नामांकन के लिए निम्न दस्तावेजों को अनुमान्य किया गया है:-

(क) अस्पताल/ऑक्जीलियरी नर्स या मिड वाईफ पंजी अभिलेख;

(ख) ऑगनबाड़ी अभिलेख ; एवं

(ग) बच्चे के अभिभावक या माता-पिता द्वारा बच्चे के उम्र हेतु दिया गया घोषणा-पत्र

6. स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा-नर्सरी/LKG/ UKG/Montesory) के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लागू करने हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल विकसित किया जायेगा। इस पर आकड़ों की प्रविष्टि के निमित्त निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

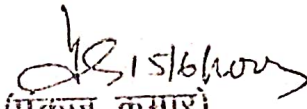
- (i) जिले के सभी प्रस्वीकृत गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा-नर्सरी/LKG/ UKG/Montesory) में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या तथा कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित पच्चीस प्रतिशत संख्या की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र से संबंधित पड़ोस के प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
- (iii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र प्रखंड तथा नजदीक के प्रखंड (जिले के अन्दर) सहित कुल 05 विद्यालयों में नामांकन हेतु विकल्प दे सकते हैं।
- (iv) विद्यालय पहुँच के लिए परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।
- (v) नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जाँच सीट आवंटन के पूर्व पोर्टल पर ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु उन्हें लॉग-इन आई.डी. अलग से दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जाँच की जाएगी।
- (vi) प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) द्वारा किया जायेगा।
- (vii) विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) द्वारा पोर्टल पर ही बच्चों का चयन Randomly किया जायेगा।
- (viii) निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार किया जा सकेगा।

- (ग) बच्चे के अभिभावक या माता-पिता द्वारा बच्चे के उम्र हेतु दिया गया घोषणा-पत्र
6. स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा-नर्सरी/LKG/ UKG/Montesory) के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लागू करने हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल विकसित किया जायेगा। इस पर आकड़ों की प्रविष्टि के निमित्त निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-
- (i) जिले के सभी प्रस्वीकृत गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा-नर्सरी/LKG/ UKG/Montesory) में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या तथा कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित पच्चीस प्रतिशत संख्या की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
  - (ii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र से संबंधित पड़ोस के प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
  - (iii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र प्रखंड तथा नजदीक के प्रखंड (जिले के अन्दर) सहित कुल 05 विद्यालयों में नामांकन हेतु विकल्प दे सकते हैं।
  - (iv) विद्यालय पहुँच के लिए परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।
  - (v) नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जाँच सीट आवंटन के पूर्व पोर्टल पर ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु उन्हें लॉग-इन आई.डी. अलग से दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जाँच की जाएगी।
  - (vi) प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) द्वारा किया जायेगा।
  - (vii) विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) द्वारा पोर्टल पर ही बच्चों का चयन Randomly किया जायेगा।
  - (viii) निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार किया जा सकेगा।

(ix) कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के शिक्षण पर हुए व्यय के नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा पोर्टल पर बैंक से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि की जायेगी। विभाग द्वारा PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालय को प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार बच्चों के नामांकन का भौतिक जाँच भी कराया जा सकेगा।

7. शिकायत निवारण प्रक्रिया- उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के क्रम में प्राप्त होने वाले शिकायतों के निराकरण हेतु प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय अधिसूचना सं०-414 दिनांक-03.04.2013 के द्वारा किया गया है। इसमें गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा-नर्सरी/LKG/ UKG/Montesory) के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया गया है।

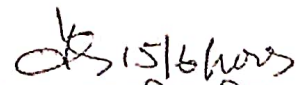
उक्त प्रावधान का सम्यक् अनुपालन सभी हितबद्ध पक्ष करना सुनिश्चित करेंगे।

  
(पंकज कुमार)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

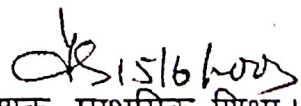
ज्ञापांक :-08/RTE 15-03/2023/505/पटना, दिनांक:-15/06/23...../

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं राज्य के सभी प्रस्वीकृत गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय के निदेशक/प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 08/RTE 15-03/2023/505/ पटना, दिनांक 15/06/23...../

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर उक्त मार्गदर्शिका की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 08/RTE 15-03/2023/505/ पटना, दिनांक 15/06/23...../

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

का.प्र.स.स. 1342/406/23 दिनांक 17/06/23

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

31 Page V

जापांक 1194 /

पूर्णिमा, दिनांक 23/06/2023

प्रतिलिपि :- सभी प्ररकीकृत प्राप्त निम्न विद्यालय  
के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक को सूचनाएँ एवं इस आशय  
के साथ प्रेषित कि पत्र में दिखे गये निवेदन का अवसरवाः  
पालन करना सुनिश्चित करें।

22/06/23



22.06.23  
जिला कार्यका पदाधिकारी  
श्री 02/06/23 के आदेश  
आभयान, पूर्णिमा  
1  
11/06/23